71

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा म0प्र0

COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-5052-II-115 रीवा Rs-20/-

श्रीमती सुमन देवी गौतम पत्नी मुद्रिका प्रसाद गौतम उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम छिजवार पोस्ट मदेदपुर थाना चोरहटा तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0

——— निगरानीकर्ता

402 14.9.15

विरूद्व

1– रामकिशोर कुशवाहा तनय रामनारायण उम्र 49 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम छिजवार तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

—— गैर निगरानीकर्ता

2– शासन म0प्र0

निगरानी विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार सर्किल बनकुइयां जिला रीवा म0प्र0 के प्र0क0 8 /अ74 /13–14 आदेश दिनांक 25–07–15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

श्री ... द्वारा आज दिनांक 14.9.15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :–

1– आवेदिका की ओर से आराजी क0 162/1 रकवा 0.097 हे0 व 163/2 रकवा 0.065 हे0 किता 2 जुमला रकवा 0.162 हे0 स्थित ग्राम व मौजा छिजवार पटवारी हल्का मद्देपुर क0 6 सार्किल बनकुइयां तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुबालिक 98000 रू0 में दिनांक 21–05–07 को खरीद कर काबिज हुई तथा नामान्तरण भी आवेदिका का हो गया आवेदिका की ओर से दिनांक 15–04–10 को नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइयां तहसील हुजूर जिला रीवां म0प्र0 के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया किन्तु आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया गया आपत्तिकर्ता अनावेदक क0 1 ने आपत्ति प्रस्तुत किया आपत्ति कर्ता अनावेदक ने आपत्ति कर्ता की सुनवाई के बाद दिनांक 16–09–13 को नक्शा तरमीम प्रस्ताव बनाने हेतु आदेश दिया जिस पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 5052-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-3-2016	यह निगरानी नायब तहसीलदार बनकुइयां जिला रीवा के प्रकरण कमांक 8/अ–24/13–14 आदेश दिनांक 25–7–15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है । आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में शीघ्र निराकरण करने का निवेदन किया गया । आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया तथा उनके तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदिका द्वारा 162/1 रकबा 0.097 हैक्टेयर एवं 163/2 रकबा 0.065 हैक्टेयर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया जाकर उसका नक्शा तरमीम कराये जाने का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन कि सर्वे कमांक 163/1 एवं 162/1 का नक्शा तरमीम पूर्व में हो चुका है, के आधार पर आवेदिका का नक्शा तरमीम आवेदन निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । नायब तहसीलदार के इस आदेश दिनांक 25–7–15 में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पूर्व में उक्त भूमियों का नक्शा किस अधिकारी के तथा किस आदेश दिनांक से तरमीम किया गया है ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दिनांक 25–7–15 अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट नहीं होने से स्थिर रखे	

जाने योग्य नहीं है, अतः वह निरस्त किया जाता है । साथ ही नायब तहसीलदार को यह निर्देश दिया जाता है कि वे विषयांकित बिन्दु पर आदेश पारित करने से पहले, उभयपक्ष को सुनते हुए, इस बात की जॉच करें कि पहले की कथित नक्शा तरमीम किस आदेश के अधीन हुई थी, एवं क्या वह सक्षम आदेश के अधीन हुई थी या नहीं, तदुपरान्त बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें ।

आदेश पारित ।
पक्षकार सूचित हो ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य